मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रुपये पैसों में

खसरा

ग्राम: कसेरा	हल्का : वीरमपुरा	रा.नि.म. : बकस्वाहा	तहसील : बकस्वाहा	जिला : छतरपुर	वर्ष: 2020-2021

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरुसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26/1	150.2290	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन सम्पूर्ण भाग शासकीय									बटवारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-19(3)/भूह17-18 आ.दि. 12/10/2017 के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया है।

Specimen Copy Pending for Digital Signature

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रुपये पैसों में

खसरा

ग्राम: कसेरा	हल्का : वीरमपुरा	रा.नि.म. : बकस्वाहा	तहसील : बकस्वाहा	जिला : छतरपुर	वर्ष: 2020-2021

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364/1	153.5850	(शासकीय)							########		म.प्र.शासन इमारती लकड़ी

Specimen Copy
Pending for Digital signature

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रुप में नही किया जा सकता है।
3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।
4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

फार्म पी -II

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करों का ब्यौरा रुपये पैसों में

खसरा

ग्राम: कसेरा	हल्का : वीरमपुरा	रा.नि.म. : बकस्वाहा	तहसील : बकस्वाहा	जिला : छतरपुर	वर्ष: 2020-2021

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खातो मे सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मौरुसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम ओर उप-पट्टे पर दिए गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि						खाते के बाहर के क्षेत्रो मे बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
				क्षेत्रफल जिसमे वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई			पड़ती का क्षेत्रफल				
				फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	चालू वर्ष की पड़ती	2 से 5 वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् 5 वर्ष से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13/1	484.3460बंजर 484.3460	(शासकीय) मध्यप्रदेश शासन सम्पूर्ण भाग शासकीय									म.प्र.शासन वनभूमि-57.21 नामांतरण(अन्य)प्रकरण क्रमांक 01/अ-19(3)/भूह/17-18 आ.दि. 12/10/2017 के अनुसार कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया गया है। बंदर डायमंड प्रोजेक्ट हेतु रकबा ३८२.१३१ हे आरक्षित न्यायालय कलेक्टर महोदय छतरपुर का आदेश प्र क्र ००१/अ ५९/व्यपवर्तन/२०-२१ आदेश दिनांक ०७/०८/२०२० के अनुसार दि.18/08/2020को खसरा टिप्पणी पटवारी द्वारा जोड़ा गया एवं तहसीलदार द्वारा अनुमोदन किया गया।

Specimen copy

नोट :-

1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिये है।
2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रुप में नही किया जा सकता है।

3. डिजिटली साइंड कॉपी के लिए आई. टी. सेंटर से, लोक सेवा केंद्र से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।

4. प्रविष्टियों में सुधार/संशोधन हेतु संबंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।